निर्देश ▶ डीजीपी व एसीएस से शपथपत्र पर सुरक्षा के लिये उठाये गये कदमों की मांगी जानकारी

महिला जज को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर। मप्र हाईकोट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि फैसले का जवाब अपील है, जज को धमकी नहीं। कानून के शासन में असहमति का अधिकार है, लेकिन न्यायाधीश को डराने-धमकाने का नहीं। न्यायाधीश लोकप्रिय भावनाओं से नहीं, संविधान, कानून और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हैं। यदि हर कठोर फैसले के बाद उन्हें धमकियों का सामना करना पड़े, तो निष्पक्ष न्याय की पूरी व्यवस्था दबाव में आ जाएगी। न्यायालय ने महिला जज को धमकाने के मामले को सख्ती से लेते हुए डीजीपी व एसीएस से शपथपत्र पर सुरक्षा को लेकर उठाये गये कदमों की जानकारी मांगी है। मामला सिवनी मालवा में पदस्थ महिला जज तबस्सुम खान को गौहत्या के बहुचर्चित मामले में 14 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद इंटरनेट मीडिया पर मिली धमकियों से संबंधित है। इस प्रकरण ने न केवल एक न्यायाधीश की सुरक्षा का प्रश्न उठाया है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। इसीलिए हाईकोर्ट ने स्वत- संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह से

हलफनामा तलब कर पूछा है कि महिला जज की सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराने और आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की कार्रवाई की जानकारी दी है। जिसे रिकार्ड में लेते हुए न्यायालय ने कहा कि न्याय की कुर्सी जब भयमुक्त रहेगी तभी संविधान का शासन मजबूत रहेगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य के पास न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का ऐसा स्थायी और प्रभावी तंत्र है, जो केवल घटना के बाद नहींए बल्कि पहले से ही सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मामला किसी एक महिला जज का नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा और आम नागरिक के न्याय पर विश्वास का है। न्याय की कुर्सी भयमुक्त रहेगी, तभी संविधान का शासन मजबूत रहेगा।

पास्को एक्ट मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश

जन्म तिथि संतोषजनक नहीं तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नहीं कर सकते दंडित

हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि जन्मतिथि संतोषजनक नहीं है तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा से दंडित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह अपने आदेश में कहा है कि एलकेजी में दाखिला लेने के बाद कोई 9 साल में कक्षा दसवीं कैसे उत्तीर्ण कर सकता है। आम तौर पर कक्षा दसवीं की परीक्षा में बैठने से पहले एक छात्र को लगभग बारह साल की औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करना होती है। युगलपीइ ने कक्षा दसवी की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि को सही नही मानते हुए पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत दी गयी सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने के आदेष जारी किये है।

सिंगरौली निवासी मुन्ना राम की तरफ से दायर अपील में पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत जिला न्यायालय द्वारा अधिकतम 20 साल की सजा से दंडित किये जाने को चुनौती दी गयी थी। अपील में कहा गया था कि पीड़ित ने अपने बयान में कहा है कि पिता उसके साथ मारपीट करते थे। जिसके कारण उनसे अपीलकर्ता को बुलाया और बनारस चले गये। बनारस जाकर दोनों ने शादी की और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। पीड़िता के अनुसार जब उसने कक्षा पहली में दाखिला लिया था तो उसकी उम्र 7 साल थी। जिला न्यायालय ने कक्षा दसवीं की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीडिता को नाबालिग मानते हुए उसे सजा से दंडित किया है।

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़ित का पिता का कहना है कि उसका विवाह 19 साल पूर्व हुआ था। विवाह के एक साल बाद पीडित पैदा हुई थी। उसने पीड़ित को जुलाई 2014 में एलकेजी कक्षा में दाखिला दिलाया था। पीड़ित की मां का कहना है कि उसका विवाह 20 साल पूर्व हुआ था। पीड़ित का जन्म विवाह के दो साल बाद हुआ था। दसवीं की मार्कशीट में पीड़ित की जन्मतिथि 27 फरवरी 2007 दर्ज है। युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि पीडिता के मॉ-पिता के द्वारा दिये गये वयान में उनके विवाह के संबंध में विरोधाभास है। मेडिकर रिपोर्ट में भी पीडित के शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं पाई गई। इसके अलावा पीड़िता की प्राइवेसी के उल्लंघन के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी गई। अपीलकर्ता के साथ जाने में पीड़िता अपनी मर्जी से शामिल थी। अभियोजन पक्ष उसकी जन्म तिथि को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर पाया है। पीड़िता अपनी मर्जी से संबंध बनाने वाली बालिग थी और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण अपीलकर्ता को दोषी ठहराना सही नहीं है। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ जिला न्यायालय के दी गयी सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया।

उफनती नदी पार करने के फेर में बोलेरो पलटी

एक की मौत, चार की बची जान

जबलपुर। बेलखेड़ा में गुरुवार दोपहर मानेगांव से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो कार कटाव नदी के रपटे पर आए तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पलट गई और डू गई। हादसे में चालक की मौत हो गई । वहीं, गाड़ी में सवार चार अन्य साथी तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे।

जानकारी के अनुसार बुलेरो क्रमांक एमपी 20 जेड जी 0435 का चालक रवि पिल्ले 45 वर्ष, निवासी सदर बाजार, कैंट का साथी देवेन्द्र गौड, मयंक बर्मन, चंदन सिंह लोधी तीनों निवासी बेलखेड़ा एवं संदीप बंजारा निवासी शहपुरा के साथ मानेगांव से आ रहा था। लगातार हो रही बारिश के कारण कटाव नदी के पास बने रपटे पर करीब 3 फीट पानी बह रहा था। खतरे को भांपते हुए सड़क के दोनों ओर दर्जनों

राहगीर और ग्रामीण पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 1:30 बजे बोलेरो के चालक ने सूझबूझ खो दी और उफनती लहरों के बीच ही गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तेज बहाव के बीच पहुंचते ही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।

रवि गाड़ी में फंसा, साथी तैरकर निकले बाहर

गाड़ी पलटते ही चीख-पुकार मच गई। खिड़कियों और दरवाजों के सहारे गाड़ी में सवार चार लोग समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे। चारों को सुरक्षित बाहर आते देख किनारे खड़े लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वाहन चला रहे रवि पिल्ले पिता कृष्णा पिल्ले अंदर ही फंसा रह गया। गाड़ी के भीतर ही फंसने और दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

तीन घंटे तक पानी में डूबी रही लाश

नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी तुरंत गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। करीब 3 घंटे तक बोलेरो पानी में पूरी तरह डूबी रही। जब जलस्तर में थोड़ी कमी आई, तब गाड़ी का दरवाजा खोला गया और रवि पिल्ले को बाहर निकाला। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी सांसें थम चुकी थीं। जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे को लेकर घटनास्थल पर मौजूद लोगों में आरोप है कि जब यह पूरा हादसा हुआ और रवि पिल्ले गाड़ी के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब बेलखेड़ा पुलिस वहां सिर्फ तमाशबीन बनी खड़ी रही। पुलिस ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं करवाया था ।

हथियारों से लैस 15 बदमाशों ने घेर किया युवक का अपहरण

फिल्मी अंदाज में वारदात एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। विजयनगर में हथियारों से लैस बदमाशों ने न सिर्फ एक युवक को घेरकर जानलेवा हमला किया, बल्कि फिल्मी अंदाज में उसका अपहरण कर लिया। चलती कार से कूदकर पीड़ित शैल्बी अस्पताल में भागा तो पीछे-पीछे हमलावर भी घुस गए और वहां भी जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी जीत मिश्रा समेत करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आकर्ष टाउनशिप सनातन चौक, विजयनगर का रहने वाला अग्रिम मिश्रा अपनी जिम एवाल्व फिटनेस में वर्कआउट कर रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त इहान धोंधिया का फोन आया। इहान ने अग्रिम को कुछ जरूरी काम का हवाला देकर ट्रायंगेल पार्क के पास बुलाया। दोस्त की बात पर भरोसा कर अग्रिम अपनी मोपेड उठाकर पार्क के लिए रवाना हो गया, अग्रिम जैसे ही ट्रायंगेल पार्क विजयनगर पहुंचा, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे मुख्य आरोपी जीत मिश्रा ने अपने 14 साथियों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। बदमाशों ने घेराबंदी करते हुए पहले अग्रिम के साथ अभद्रता की। इसके बाद अचानक जीत मिश्रा ने अपने पास रखी बंदूक निकाली और उसके बट से अग्रिम के मुंह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसका मुंह पूरी तरह चोटिल हो गया।

चलती गाड़ी से कूदा, अस्पताल में घुसा, हमलावर भी पहुंचे, पीटा

जीत के दो गुर्गे अग्रिम को जबरन घसीटते हुए एक गाड़ी में बिठाकर अहिंसा चौक की तरफ ले जाने लगे। गाड़ी जैसे ही शैल्बी अस्पताल के सामने पहुंची, अग्रिम ने हिम्मत दिखाई और चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया। चलती गाड़ी से कूदने के बाद अग्रिम अपनी जान बचाने के लिए सीधे शैल्बी अस्पताल के परिसर के अंदर भागा। उसे भागता देख आरोपी भी गाड़ी रोककर अस्पताल के भीतर घुस गए। बदमाशों ने अस्पताल के अंदर मौजूद स्टाफ और मरीजों के सामने ही अग्रिम को दोबारा दबोच लिया और वहां भी उसके साथ जमकर मारपीट की। अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। जब अग्रिम किसी तरह बचकर अस्पताल के सुरक्षित हिस्से में छिप गया, तब जाकर आरोपी वहां से फरार हुए। घटना के बाद सहमे हुए अग्रिम ने तुरंत अपने पिता को फोन कर आपबीती सुनाई। गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

चाकू से गोदा, बेसबॉल के डंडों से तोड़े हाथ-पैर

बंदूक के बट से हुए हमले के बाद बाकी के 13-14 बदमाश अग्रिम पर टूट पड़े। हमलावरों ने अपने पास रखे धारदार चाकू से अग्रिम के सिर और जांघ पर कई वार किए। इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने बेसबॉल के डंडों और क्रिकेट बैट से अग्रिम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस बर्बर हमले में अग्रिम के हाथ, पैर और पूरे शरीर में गंभीर चोटें आईं। लहूलुहान हालत में अग्रिम को तड़पता देख मुख्य आरोपी जीत मिश्रा ने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा इसे गाड़ी में बैठाकर ले चलो।

ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव

जबलपुर, नवभारत। यात्रियों की सुविधा हेतु रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम मध्य रेल से संचालित गाड़ी संख्या 22191/92 इंदौर-जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर रेलवे स्टेशन पर 02 जुलाई से प्रायोगिक ठहराव दिया गया है। गाड़ी संख्या 22191 इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस प्रतिदिन 02 जुलाई से सीहोर रेलवे स्टेशन पर आगमन प्रस्थान समय रात 10:26/10:28 बजे रहेगा। गाड़ी संख्या 22192 जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस प्रतिदिन 02 जुलाई से सीहोर रेलवे स्टेशन पर आगमन प्रस्थान समय सुबह 06:08/06:10 बजे रहेगा। इस ट्रेन की बाकी समय-सारणी यथावत रहेगी।

होशंगाबाद और इंदौर की तहसीलों की खुली मतपेटियां

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन 2026 के अंतर्गत गुरुवार को होशंगाबाद एवं इंदौर की तहसीलों की मतपेटियों तथा इंदौर जिले की एक मतपेटी की मतगणना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। वही इंदौर की शेष मतपेटियों की मतगणना शुक्रवार से की जाएगी मतगणना का प्रत्येक चरण अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपादित किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो रही है। वर्तमान मतगणना चरण में राकेश सिंह भदौरिया, गौरव मिश्रा, जितेन्द्र कुमार शर्मा, डॉ विजय कुमार चौधरी, दिनेश कुमार शुक्ला क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर बने हुए है इसके साथ ही इस निर्वाचन में महिला अधिवक्ताओं की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिल रही है।

845 मतपत्र नियम विरुद्ध पाए गए

महिला प्रत्याशी चुनावी दौड़ में सक्रिय रूप से बनी हुई हैं, जो अधिवक्ता समाज में महिला नेतृत्व की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है। गुरवार तक प्रतीका पाठक, अब्बू पटेल, राजकुमारी शर्मा, गायत्री सुर्वे, रश्मि ऋतु जैन क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क़ाबिज़ थी। अबतक के कुल 23,116 मतों की मतगणना हुई है जिसमें से 22,271 मतपत्र सही पाये गये हैं एवं 845 मतपत्र नियम विरूद्ध होने से निरस्त हुये।

रिमझिम फुहारों से तरबतर हुआ शहर

दिन चढ़ने के बाद भी बादलों की ओट में छिपे रहे सूर्यदेव

नवभारत, जबलपुर। मानसून की मेहरबानी से गुरूवार सुबह से ही शहर का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ रहा तड़के से शुरू हुआ रिमझिम बारिश और हल्की फुहारों का दौर रुक-रुक कर जारी रहा। दोपहर चढ़ने के बाद भी आसमान में डेरा जमाए काले बादलों के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके। इस झमाझम और खुशनुमा मौसम ने जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से पूरी तरह राहत दी है, वहीं जनजीवन की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया है। ठंडी हवाओं और लगातार फुहारों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहे जरूरी काम पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने चौबीस घंटे के भीतर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। चौबीस घंटे में 16.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। सीजन में अब तक 80.3 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है।

ये सिस्टम है सक्रिय

मौसम विभाग की माने तो उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं उससे सटे उत्तर ओडिशा तट के ऊपर स्थित चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों के ऊपर एक निम्न दाब क्षेत्र बन गया है। दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर औसत समुद्र तल से 1.5 किमी तक विस्तृत ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है औसत समुद्र तल पर मौसमी द्रफ अब उत्तर-पश्चिम राजस्थान से होकर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं उससे सटे उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों पर स्थित निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र तक विस्तृत है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57